**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, रामपुर**

जमानत प्रार्थना पत्र सं० –198/2026

C.N.R.NO–UPRP01–001625–2026

रजि० सं०–348/2026

हशरत अली उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र अफसर अली निवासी ग्राम मीरापुर का मझरा थाना स्वार जिला रामपुर

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

**आदेश**

1. आवेदक/अभियुक्त **हशरत अली** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–53/2026 धारा–331(4), 305 ए बी०एन०एस० थाना स्वार जिला रामपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ श्रीमती फरहत जहां का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा थाने की आख्या व केस डायरी का अवलोकन किया।

3. अभियोजन के अनुसार दिनांक 01.02.2026 की रात्रि में वादी कुलदीप सिहं के खेत में बने ट्यूबेल के कमरे की दीवार काट कर उसके पानी का मोटर हसरत अली, फईम व अनिल ले गये और महुआ खेड़ा के चन्द्रपाल सिंह, शाकिर अली व फिरोज के मोटर उपरोक्त लोग खोल कर कही बेच दिये है तथा हसरत अली, फहीम व अनिल का यही धंधा है और आये दिन लोगो की चोरियां करते रहते हैं। उसके मोटर को ले जाते अमीर सिंह व अमरीक सिंह ने देखा है।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसे रंजिशन झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह दिनांक 19.02.2026 से जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। वह एक सीधा–साधा गरीब व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कथित चोरी की बरामदगी आज तक नहीं हुई है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है और न ही घटना का कोई मोटिव है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य के साथ मिलकर वादी मुकदमा के खेत में बने ट्यूबेल के कमरे की दीवार काट कर उसके पानी का मोटर चोरी करके ले जाना कथित किया गया है। थाने की आख्यानुसार आवेदक/

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास होना बताया गया, परन्तु पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य अभियोजन की ओर से प्रकट नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 19.02.2026 से जेल में निरूद्ध होना बताया गया हैं।

7. मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये गुण–दोष पर कोई अन्तिम मत व्यक्त किये बिना जमानत का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

8. आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा रूपये 50,000/–का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1. आवेदक/अभियुक्त नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा मुकदमे के विचारण में सहयोग करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त साक्षी के उपस्थित रहने पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

9. आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर यह जमानत आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

दिनांकः 24–03–2026

(डॉ० विजय कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2, रामपुर
ID No UP 2413

Digitally signed by DR VIJAY KUMAR
Date: 2026.03.24 16:44:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court